राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(3)गृह–1/2023 जयपुर, दिनांक : 28.08.2024

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृंखला की वर्ष 2023–24 की दिनांक 30.09.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री महमूद खां के विरूद्व आदेश क्रमांक 4642–43 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा अन्तर्गत नियम 17 सीसीए में आरोप पत्र जारी होने के कारण पदोन्नति की अभिशंषा को सील्ड कवर में रखा गया।

आरोप पत्र दिनांक 14.02.2022 को इस विभाग के पत्र दिनांक 23.02.2023 के द्वारा एडोप्ट किया गया। तत्पश्चात् आरोप पत्र में आंशिक संशोधन कर दिनांक 26.05.2023 द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये। कार्मिक विभाग से प्राप्त राय के अनुसार नवीन आरोप पत्र दिनांक 26.05.2023 जारी किया जाने तथा इस संबंध में जारी दण्डादेश दिनांक 29.11.2023 में भी आरोप ज्ञापन दिनांक 26.05.2023 का संदर्भ अंकित होना एडोप्टेड आरोप पत्र को ड्रोप किये जाने की स्थिति दर्शित करता है।

श्री महमूद खां, आरपीएस के प्रकरण में एडोप्टेड आरोप पत्र ड्रोप होने एवं नवीन आरोप पत्र दिनांक 26.05.2023 रिक्ति दिनांक 01.04.2023 के बाद का होने के कारण राजस्थान पुलिस सेवा की सलेक्शन स्केल की वर्ष 2023–24 की दिनांक 30.09.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सील्ड कवर में किये गये श्री महमूद खां की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

समिति द्वारा श्री महमूद खान के प्रकरण में निम्नानुसार अभिशंषा की है:–

''समिति द्वारा श्री महमूद खां (सामान्य) का सेवा अभिलेख संतोषप्रद होने के कारण पदोन्नति योग्य पाया गया, परन्तु इनके विरूद्व आदेश क्रमांक 4642–43 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा अन्तर्गत नियम 17 सीसीए में आरोप पत्र जारी किये गये है। अतः समिति द्वारा श्री महमूद खां (सामान्य) के विरूद्व विचाराधीन विभागीय जांच में दोषमुक्त किये जाने की स्थिति में श्री खां को वर्ष 2023–24 की रिक्ति के विरूद्व राजस्थान पुलिस सेवा की सलेक्शन स्केल में पदोन्नत किये जाने की अभिशंषा की जाती है।''

कार्मिक विभाग की राय के अनुसार नवीन आरोप पत्र दिनांक 26.05.2023 जारी किया जाने तथा इस संबंध में जारी दण्डादेश दिनांक 29.11.2023 में भी आरोप ज्ञापन दिनांक 26.05.2023 का संदर्भ अंकित होना एडोप्टेड आरोप पत्र को ड्रोप किये जाने की स्थिति दर्शित करता है।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के क्रम में उपरोक्तानुसार आरोप पत्र ड्रोप किये जाने की स्थिति दर्शित होने के कारण आरोप पत्र दिनांक 26.05.2023 का प्रभाव रिक्ति दिनांक 01.04.2023 पर प्रभावी नहीं होने से श्री महमूद खां को राजस्थान पुलिस सेवा की सलेक्शन स्केल के पद पर वर्ष 2023–24 में दिनांक 01.04.2023 की रिक्ति के प्रति एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री महमूद खां की वरिष्ठता श्री राकेश पाल/चतुर्भुज के नीचे तथा श्री दिनेश कुमार/घनश्याम के उपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री महमूद खां, आरपीएस को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कश्मी कौर)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
T. No. 0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324

Scanned with CamScanner